

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण, बिजावर ' विदर्भ ट्रॉस्मिशन लिमिटेड  
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

### दृष्टिकोण

हमने बिजावर - विदर्भ ट्रॉस्मिशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के साथ साथ लाभ तथा हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणयुक्त सूचना शामिल हैं।

हमारे दृष्टिकोण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित और अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

### दृष्टिकोण के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के *वित्तीय विवरणों* की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के खंड में पुनः किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी *सिद्धांत संहिता* और ऐसी सैद्धांतिक आवश्यकताओं, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अनुरूप हैं, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और सिद्धांत संहिता के अनुसार अपनी अन्य सैद्धांतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हमारा मानना है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, वे हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उचित हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारियों की जिम्मेदारियां कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः

स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इकट्टी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने, ऐसे निर्णय करने और अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हैं, जो उचित और तथ्यपरक हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी इसमें शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के अनुरूप थे जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मंडल कंपनी के जारी प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, यथालागू प्रकटन, जारी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए जारी प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन को रोकने का नहीं है या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप में किसी भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह किसी धोखाधड़ी या त्रुटि और कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के कारण क्यों न हुई हो, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी बड़ी गलती के होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें तब बड़ी गलती माना जाता है, जब वे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बड़ी गलती, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, डिजाइन के कारण क्यों न हो, के जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करते हैं और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को उन जोखिमों के प्रति संवेदशील बनाते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी दृष्टिकोण के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी के परिणामरूप दिए गए किसी गलत विवरण का पता न लग पाने का जोखिम त्रुटि बस दिए गए गलत विवरण से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में अभिसंधि, जालसाजी, जानबूझकर छोड़ देने,

गलत व्याख्या अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिज़ाइन करने के प्रयोजन से लेखापरीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बारे में भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने अपने यहां पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू की है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी तरीके से प्रचालनरत हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों की औचित्यपूर्णता और किए गए प्रकटन का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के निरंतर जारी प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के जारी प्रतिष्ठान बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है और जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे दृष्टिकोण को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को जारी प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करते रहने के लिए चिंता का विषय बना बन सकती हैं।
- प्रकटन सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु और इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आवश्यक है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में शासन व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन व्यवस्था से जुड़े उन लोगों को इस बात से संबंधित एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक सैद्धांतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित किया है, जिन्हें ऐसा माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता के लिए बाधक हो सकते हैं और जहां कहीं भी लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में भी सूचित किया है।

**अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :**

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("द आदेश") के अनुसार यथा आवश्यक हमने इस रिपोर्ट के "अनुबंध - 1" में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत जैसा हमने आवश्यक समझा, कंपनी की खाताबही और रिफॉर्डों की ऐसी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर "अनुबंध - II" में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत यथावश्यक हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;
- ख) हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाताबहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है;
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात् उनसे मेल खाते हैं;
- घ) हमारे दृष्टिकोण में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं अर्थात् उनका अनुपालन करते हैं;
- ड.) एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के संदर्भ में निदेशकों की अनअर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं;
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के लिए "अनुबंध-III" पर हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के संदर्भ में प्रबंधकीय मेहनताने से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 197 (16) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं;
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
- I. कंपनी के ऐसे कोई लंबित मुकदमे नहीं हैं, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकें।
  - II. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं थीं, जिसके लिए कोई बड़ी दृश्य हानियां हुई हों।
  - III. ऐसी कोई भी निधियां नहीं पाई गई, जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता रही हो।

कृते महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन संख्या : 005000एन

हस्ताक्षरित

सीए कोमल अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या 533973

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 13.05.2019

बिजावर - विदर्भ ट्राॅस्मिशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध -I

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बिजावर - विदर्भ ट्राॅस्मिशन लिमिटेड ('द कंपनी') के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य से इतर कोई स्थायी परिसम्पत्तियां नहीं हैं। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
2. कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं हैं। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं किए हैं।
4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अपने निदेशकों के लिए और निदेशकों की ओर से कोई ऋण, गारंटी अथवा कोई सुरक्षा जमा राशि (जमानत) नहीं दी है और कंपनी ने लिए गए ऋणों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे दृष्टिकोण से कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा किन्हीं अन्य संगत प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।
6. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की किसी भी गतिविधियों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लागत रिकार्डों का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।
7. (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और इसके लिए यथालागू अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का संबंधित प्राधिकारियों को सामान्यतः नियमित रूप से भुगतान कर रही है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त के संदर्भ में देय कोई अविवादित सांविधिक देयता उसकी वास्तविक देय तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।  
(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में ऐसी कोई भी देय राशियां नहीं हैं, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार देय हों।
8. हमें सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक या डिबेंचर धारक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है; अंतः आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (viii) कंपनी के लागू नहीं होता है।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (कर्ज के लिखतों सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है ; अंतः आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (ix) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
10. हमारे द्वारा निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई अथवा रिपोर्ट नहीं की गई।
11. एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 463 (ई) के अनुसरण में प्रबंधकीय मेहनताने से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं; अंतः आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
12. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है, तदनुसार चूक के संबंध में आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कंपनी द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के तहत किए गए हैं; अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं, तथापि, लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथावश्यक ढंग से वित्तीय विवरणों में अपेक्षित जानकारी का प्रकटन किया गया है।
14. कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से कनवर्टिबल डिबेंचरों का प्राथमिकता के आधार पर कोई आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े लोगों के साथ कोई गैर नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
16. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 – आईए के अंतर्गत पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है।

कृते महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन संख्या : 005000एन

हस्ताक्षरित

सीए कोमल अग्रवाल  
(भागीदार)

सदस्यता संख्या 533973

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 13.05.2019

बिजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध - II

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बिजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों के उत्तर**

क्र. सं.	प्रश्नावली	उत्तर
	क्या कंपनी ने आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के लिए प्रणाली लागू की है? यदि हां, तो वित्तीय बाध्यताओं, यदि कोई हैं, के साथ साथ लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन संसाधित करने में आने वाली विवक्षाओं का उल्लेख किया जाए।	जी, हां, कंपनी ने आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के लिए प्रणाली अर्थात ओरेकल लागू की है। हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास ओरेकल में पोस्ट की गई पृविष्टियों की सत्यता का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी के लिए किसी ऋणदता द्वारा किए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन अथवा कर्ज / ऋणों / ब्याज आदि में छूट / बट्टे खाते में डालने के कोई मामले सामने आए हैं? यदि हां, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की कोई भी राशियों में छूट / बट्टे खाते में डालने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्र / राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त की गई / प्राप्त होने वाली निधियों की उचित ढंग से गणना की गई / इसकी निबंधन और शर्तों के अनुसार उनका सदुपयोग किया गया? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	कंपनी के पास केंद्र / राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त की गई / प्राप्त होने वाली कोई निधियां नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

कृते महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन संख्या : 005000एन

हस्ताक्षरित

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सीए कोमल अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या 533973

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 13.05.2019

### बिजावर - विदर्भ ट्रॉस्मिशन लिमिटेड के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध – III

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बिजावर - विदर्भ ट्रॉस्मिशन लिमिटेड ("द कंपनी") के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 ("द अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बिजावर - विदर्भ ट्रॉस्मिशन लिमिटेड ("द कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भी शामिल है।

#### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों का क्रमबद्ध ढंग से तथा प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली तरीके से चल रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता तथा अधिनियम के अंतर्गत यथावश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं।

#### लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (द "गाइडेंस नोट") और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए यथालागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथाविनिदिष्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की

लेखापरीक्षा के लिए लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के तहत यह आवश्यक है कि हम सैद्धांतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और उसे बनाए रखा गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावशाली ढंग से लागू किए गए।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में जानकारी (समझ) प्राप्त करना, ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करना शामिल है कि वहां कोई बड़ी चूक या गड़बड़ी हुई है तथा मूल्यांकित जोखिमों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के परीक्षण और मूल्यांकन को भी इसमें शामिल किया गया। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करने की दृष्टि से हमने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, वे पर्याप्त और उचित हैं।

## वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसका आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन देने के लिए डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) ऐसे रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेनों और जमा राशियों की परिशुद्ध और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती हैं; (2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए यथावश्यक लेनदेन को रिकार्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, इस्तेमाल अथवा जमा करने के संबंध में समय पर पता लगाने अथवा उनकी रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतरनिहित सीमाएं

जटिलता की संभावना, अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों की अतिव्याप्ति सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के फलस्वरूप बड़ी और गलत जानकारी दिए जाने की घटना घटित हो सकती है और यह भी संभव है कि उसका पता भी न चले। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन संबंधी पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर (डिग्री) प्रभावित हो सकता है।

### दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में कंपनी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर सभी वास्तविक संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

कृते महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन संख्या : 005000एन

हस्ताक्षरित

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सीए कोमल अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या 533973

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 13.05.2019

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

( सौ रु. में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
(I)	<b>परिसंपत्तियां</b>			
(1)	<b>गैर-चालू परिसंपत्तियां</b>			
	(क) जारी पूंजीगत कार्य	3	37,369.91	28,993.65
(2)	<b>चालू परिसंपत्तियां</b>			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकद और नकद समतुल्य	4	705.00	1,000.00
	<b>कुल परिसंपत्तियां</b>		<b>38,074.91</b>	<b>29,993.65</b>
(II)	<b>इक्विटी और देनदारियां</b>			
(1)	<b>इक्विटी</b>			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	5	1,000.00	1,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	6	(194.51)	(194.51)
(2)	<b>देनदारियां</b>		<b>805.49</b>	<b>805.49</b>
(क)	<b>चालू देनदारियां</b>			

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	7	36,637.54	28,764.40
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	8	270.00	270.00
(ख) अन्य चालू देनदारियां	9	361.88	153.76
		<b>37,269.42</b>	<b>29,188.16</b>
<b>कुल इक्विटी और देनदारियां</b>		<b>38,074.91</b>	<b>29,993.65</b>
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	1 - 2		
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें	1-30		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(संजय नायक)

निदेशक

डीआईएन : 08197193

(डी. मानावालन)

अध्यक्ष

डीआईएन : 08102722

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के

अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या : 005000एन

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सीए कोमल अग्रवाल

(पार्टनर)

सदस्या संख्या 533793

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

( सौ रु. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	13 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए
प्रचालन से राजस्व		-	-
अन्य आय		-	-
<b>कुल आय (I)</b>		-	-
व्यय			
अन्य व्यय	10	-	194.51
<b>कुल व्यय (II)</b>		-	<b>194.51</b>
<b>कर पूर्व लाभ/(हानि) (I- II =III)</b>		-	<b>(194.51)</b>
कर व्यय : (IV)			
चालू कर		-	-
आस्थगित कर			

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

अवधि के लिए लाभ/(हानि) (III - IV = V)	-	-
अन्य वृहद आय (VI)	-	-
अवधि के लिए कुल वृहद आय (V+VI=VII)	-	(194.51)

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

इक्विटी शेयर प्रति अर्जन: (VIII) मूलभूत और तनुकृत ( ₹में), (10 रु. प्रति मूल्य)	12	-	(1.95)
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट को देखें	1 - 2 1-30		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर  
से

(संजय नायक)

निदेशक

डीआईएन : 08197193

(डी. मानावालन)

अध्यक्ष

डीआईएन : 08102722

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के  
अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या : 005000एन

सीए कोमल अग्रवाल

(पार्टनर)

सदस्य संख्या 533793

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण

( सौ रु. में)

	विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	13 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए
<b>क.</b>	<b>प्रचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>		
	कर पूर्व निबल लाभ के लिए समायोजन :	-	(194.51)
	समायोजन	-	-
	कार्य पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालनगत लाभ कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:	-	(194.51)
	- अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/ (ह्रास)	-	270.00
	- अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/ (ह्रास)	208.12	153.76
	<b>प्रचालनगत कार्यकलापों से प्राप्त नकद राशि</b>	<b>208.12</b>	<b>229.25</b>
	भुगतान किया गया आयकर	-	-
	<b>प्रचालनगत कार्यकलापों से प्राप्त निबल नकदी</b>	<b>208.12</b>	<b>229.25</b>

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

<b>ख.</b>	<b>निवेशी कार्यकलाप से नकदी प्रवाह :</b>		
	जारी पूंजीगत कार्य में वृद्धि	(8,376.26)	(28,993.65)
	<b>निवेशी कार्यकलापों से निबल नकदी</b>	<b>(8,376.26)</b>	<b>(28,993.65)</b>
<b>ग.</b>	<b>वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :</b>		
	जारी शेयर पूंजी	-	1,000.00
	उधारी में वृद्धि/ (ह्रास)	7,873.14	28,764.40
	<b>वित्तीय कार्यकलापों से निबल नकदी</b>	<b>7,873.14</b>	<b>29,764.40</b>
	<b>नकदी और नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि/ (ह्रास) (क +ख +ग)</b>	<b>(295.00)</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>जोड़ें : अवधि की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य समाप्ति के समय नकदी और नकदी समतुल्य (नोट-4)</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
	<b>के साथ :</b>	<b>705.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>चालू खातों में बैंक में शेष राशि</b>	<b>705.00</b>	<b>1,000.00</b>

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(संजय नायक)

निदेशक

डीआईएन : 08197193

(डी. मानावालन)

अध्यक्ष

डीआईएन : 08102722

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार  
के लिए और उनकी ओर से  
**महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या : 005000एन

**सीए कोमल अग्रवाल**

(पार्टनर)

सदस्या संख्या 533793

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

**बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड**

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

( सौ रु. में)

	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी
13 जनवरी 2017 को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वित्तीय वर्ष (वि. व. 2017-18) के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	10,000	1,000.00
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वर्ष के अंत में शेष राशि	10,000	1,000.00

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19) के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वर्ष के अंत में शेष राशि	10,000	1,000.00

### ख. अन्य इक्विटी

( सौ रु. में)

विवरण	राशि
<u>रखा गया अर्जन</u>	
13 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार शेष राशि	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	(194.51)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शेष राशि	(194.51)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार शेष राशि	(194.51)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(संजय नायक)

निदेशक

डीआईएन : 08197193

(डी. मानावालन)

अध्यक्ष

डीआईएन : 08102722

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

के लिए और उनकी ओर से

**महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या : 005000एन

**सीए कोमल अग्रवाल**

(पार्टनर)

सदस्या संख्या 533793

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

## 1 निगमित सूचना

कंपनी की स्थापना पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड), भारत सरकार का एक उद्यम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिनांक 13.01.2017 को की गई। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जा निधि'ए 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में अवस्थित है। कंपनी की स्थाना उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत के पारेषण (परियोजना) के प्रयोजन से विद्युत प्रणाली नेटवर्क के विकास और अध्ययन, अण्वेषण, सूचना और डेटा एकत्र करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, आवश्यक होने पर वन स्वीकृति आदि प्राप्त करने के साथ-साथ पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया आदि के संचालन हेतु की गई है। कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुसार चयनित विकासकर्ता को हस्तांतरित किया जाएगा।

## 2 सामान्य बातें

### (a) अनुपालन का विवरण और तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण लेखांकन की ऐतिहासिक लागत परंपरा और संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (जिन्हें "इंड एएस" के रूप में संदर्भित किया गया) और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित कंपनी (लेखा नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के यथा लागू प्रावधानों के अनुरूप हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं, जो भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि इसकी प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

कंपनी द्वारा पहली बार इन्हें अपनाने, प्राप्त छूटों आदि के विवरण नोट संख्या 26 में दिए गए हैं।

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के बाद दो अंकों तक निकटतम सैंकड़ों के रूप में राउंड ऑफ किया गया है (जब तक कि अन्यथा संकेत नहीं दिया गया हो)।

### ख. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को लेखांकन नीतियों को लागू करने में ऐसे निर्णय लेना, अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को राजस्व, व्यय परिसंपत्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटनों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों की समीक्षा को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान की समीक्षा की जाती है और भावी अवधि प्रभावित होती है।

### ग. आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (अन्यथा उल्लेख को छोड़कर) की गणना संचयी आधार पर की जाती है।

### घ. जारी पूंजीगत कार्य

निर्माण अवधि/ परियोजना की स्थापना के दौरान परामर्श सेवा/ प्रशासन / ब्याज / जनशक्ति प्रभार / कानूनी और पेशेवर आदि व्यय (आय का निबल) को पूंजीगत किया जा रहा था और उसे जारी पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया।

### ड.. धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का निधियन धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जाता है और चालू देयताएं शीर्ष के अंतर्गत इसे अल्पकालिक ऋण के रूप में माना जाता है। धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) द्वारा समय-समय पर यथा लागू दर से ब्याज वसूल किया जाता है।

### च. प्राथमिक व्यय

प्राथमिक व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया है, जिसमें ऐसे व्यय किए गए हैं।

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

### छ. ऋण लागत

जारी पूंजीगत कार्य, जिसे परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है, को छोड़कर ऋण लागत को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे व्यय किए जाते हैं।

### ज. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- (i) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है, जब कंपनी की किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता (कानूनी अथवा सृजनात्मक) होती है, यदि यह पोर्टेबल है, तो कंपनी को बाध्यता का निराकरण करना आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता है। किसी प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई राशि बाध्यता से जुड़े जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निराकरण के लिए आवश्यक राशि का सर्वश्रेष्ठ अनुमान होता है। जब किसी प्रावधान का निराकरण करने के लिए कुछ अथवा सभी आर्थिक लाभ आवश्यक होते हैं, तो यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी वसूली किसी तीसरे पक्षकार से की जाए, इस प्रकार प्राप्त होने वाली किसी राशि को मान्यता किसी परिसंपत्ति के रूप में उस समय दी जाती है, जब आभासी तौर पर यह निश्चित होता है कि इसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी और प्राप्त होने वाली राशि का मापन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है।
- (ii) जब इस बात की संभावना नहीं होती है कि आर्थिक लाभों का बहिर्गमन आवश्यक होगा अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय तरीके से नहीं लगाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में बाध्यता का प्रकटन लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की संभावना न के बराबर नहीं होती है।
- (iii) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है, परंतु उस सूरत में उनका प्रकटन किया जाता है जब आर्थिक लाभ के अंतर्वाह की संभावना होती है।
- (iv) इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंधन अनुमान दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

### झ. नकदी और नकदी समतुल्य

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

नकदी में हाथ में मौजूद नकदी और मांग जमा राशियों में शामिल होती हैं। समूह नकदी समतुल्य के रूप में सभी अल्पकालिक बकाया राशियों (अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश, जो नकदी की ज्ञात राशियों के रूप में तैयार स्थिति में परिवर्तन योग्य हैं और जिनका मूल्य परिवर्तित होने का जोखिम न के बराबर होता है, विचार करता है।

### ज. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है, जहां से कर पूर्व निबल लाभ/ (हानि) को गैर नकदी प्रकृति के लेन-देनों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है और अतीत अथवा भविष्य की नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के किसी अंतर अथवा संचयन को भी ध्यान में रखा जाता है। कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

### ट. आय पर कर

आयकर संबंधी व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल होता है, इसे उस स्थिति को छोड़कर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जहां यह किसी ऐसी मद से संबंधित होता है जिसे ओसीआई में अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है, ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

चालू कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय संभावित कर होता है, जिसकी कटौती रिपोर्टिंग की तारीख को अधिनियमित कर दरों अथवा व्यापक रूप से अधिनियमित और यथा लागू दर से की जाती है और पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ में देय कर के लिए कोई समायोजन किया जाता है।

आस्थगित कर को मान्यता वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वर्तमान राशियों के बीच अस्थायी अंतर और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के रूप में दी जाती है। आस्थगित कर का मापन ऐसे कानूनों पर आधारित कर दर से किया जाता है, जो रिपोर्टिंग की तारीख तक अधिनियमित या व्यापक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय समाप्त किया जाता है, जब चालू कर परिसंपत्तियों को देयताओं के विरुद्ध समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय कोई अधिकार प्राप्त होता है और वे उसी कर प्राधिकारी द्वारा वसूल किए गए आयकरों से संबंधित होते हैं

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

किसी आस्थगित कर देयता को मान्यता सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए दी जाती है। किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक दी जाती है, जिस तक इसकी संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसे विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का सदुपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है और उन्हें उस सीमा तक घटाया जाता है, जिस तक उनके लंबे समय तक बने रहने की संभावना नहीं होती है और इस बात की संभावना होती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त कर लिया जाएगा।

अतिरिक्त आयकर, जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होता है, को उसी समय मान्यता दी जाती है, जब लाभांश का भुगतान करने के लिए देयता को मान्यता दी जाती है।

### I. वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है, जब समूह वित्तीय लिखतों के संविदागत प्रावधानों में एक पक्षकार बन जाता है।

आरंभिक मान्यता में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य और ऐसी लेन-देन लागत को जोड़कर / घटाकर मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा उन्हें जारी करने के लिए देय होती हैं। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के आधार पर मान्यता दी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के मामले में इसकी लेन-देन लागत को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

#### I.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित खरीद अथवा बिक्री को निराकरण की तारीख के आधार पर मान्यता दी जाती है और अमान्य घोषित किया जाता है।

आरंभिक मान्यता के पश्चात वित्तीय परिसंपत्तियों का उत्तरवर्ती मापन समग्र रूप से किया जाता है। यह मापन ऋणमोचित लागत अथवा उचित मूल्य पर किया जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर आधारित होता है।

##### i) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से इतर) का वर्गीकरण और मापन

**क) ऋणमोचित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :**

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का प्रयोग कर ऋणमोचित लागत पर बाद में किया जाता है :

- परिसंपत्ति, जो किसी एक व्यापार मॉडल में रखी जाती है, जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित करने के प्रयोजन से परिसंपत्तियों को रखना होता है; और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जो मूलधन की बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज का संप्रभु भुगतान (एसपीपीआई) होती हैं।

**ख) अन्य वृहद आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है, तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीओसीआई के आधार पर किया जाता है:

- व्यापार मॉडल का लक्ष्य संविदागत नगदी प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों के माध्यम से हासिल किया जाता है;
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जो मूलधन की बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज का संप्रभु भुगतान (एसपीपीआई) होती हैं।

**ग) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीपीएल में तब किया जाता है, जब तक कि उसका मापन लाभ और हानि विवरण में मान्यता दिए गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ ऋणमोचित लागत अथवा एफवीटीओसीआई पर नहीं किया जाता है।

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

- ii) **वित्तीय** **परिसंपत्तियों** **की** **क्षति**
- क) आरंभिक मान्यता के पश्चात कंपनी ऋणमोचित लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों पर संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्यता देती है। ऋण परिसंपत्तियों से इतर ऐसी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन आजीवन संभावित हानियों के समतुल्य राशि पर किया जाता है। ईसीएल की मान्यता और मापन के लिए क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को उस स्थिति को छोड़कर एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति के लिए समान रूप से लागू किया जाता है, जब ईसीएल को अन्य वृहद आय के रूप में मान्यता दी जाती है और तुलनपत्र में आगे लाई गई राशि से उसे नहीं घटाया जाता है।
- ख) **ऋण परिसंपत्तियों की क्षति और लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं:**  
कंपनी ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन आजीवन ईसीएल के समतुल्य राशि पर करती है बशर्ते कि वहां कोई क्रेडिट हानि होती है अथवा आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि आरंभिक मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं है, तो कंपनी ईसीएल का मापन 12 माह के ईसीएल के समतुल्य राशि पर करती है। जब इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि वहां आरंभिक मान्यता के बाद से एसआईसीआर में कोई वृद्धि हुई है, तो कंपनी औचित्यपूर्ण और सहयोगात्मक सूचना पर विचार करती है, जो बिना अपेक्षित लागत अथवा प्रयास के उपलब्ध होती है। यदि कंपनी ने हानि भत्ते का मापन पूर्वावधि में आजीवन ईसीएल के रूप में किया, परंतु आगामी अवधि में यह निर्धारित करती है कि क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण आरंभिक मान्यता से कोई एसआईसीआर नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में कंपनी फिर से 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते का मापन करती है। ईसीएल का मापन क्रेडिट हानि वाली ऋण परिसंपत्तियों के लिए अलग-अलग आधार पर किया जाता है और अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर इसका मापन सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करते हुए सामूहिक आधार पर किया जाता है।
- ग) क्षति, हानियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य घोषित करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब अमान्य घोषित करता है, जब परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है अथवा जब वह वित्तीय परिसंपत्ति और इसके स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और अधिनिर्णयों को अधिकांश रूप से किसी अन्य पक्षकार को स्थानांतरित कर देता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पूरी तरह से अमान्य घोषित किए जाने पर परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य और प्राप्त एवं प्राप्त होने योग्य राशि के योग के अंतर तथा संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे अन्य वृहद आय में मान्यता दी गई और इक्विटी में संचित किया गया था, को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि ऐसे लाभ अथवा हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ और हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी जाएगी।

1.2 वित्तीय देयताएं

i) वित्तीय गारंटी संविदाओं तथा पण्य वस्तुओं से इतर सभी वित्तीय देयताओं का उत्तरवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) पद्धति का प्रयोग करते हुए ऋणमोचित लागत पर किया जाता है ईआईआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। संगत संविदा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक पुनर्निर्धारण की तारीख को फ्लोटिंग ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआईआर को बाद में अद्यतित किया जाता है।

ii) वित्तीय देयताओं को अमान्य घोषित किया जाना कंपनी वित्तीय देयताओं को उस समय और केवल तब अमान्य घोषित करता है, जब समूह की बाध्यताएं पूरी रद्द अथवा समाप्त हो जाती हैं। अमान्य घोषित की गई वित्तीय देयता की वर्तमान राशि और भुगतान किए गए एवं देय विचारण के अंतर्गत को मान्यता लाभ एवं हानि विवरण में दी जाती है।

(ड) प्रति शेयर अर्जन

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात निबल लाभ को घटाकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की राशि निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ-साथ ऐसे इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात लाभ को घटाकर की जाती है, जो सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए गए होते हैं।

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 को समाप्त होन वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए  
टिप्पणियां

### 3. जारी पूंजीगत कार्य

( सौ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
अथशेष जारी पूंजीगत कार्य	28,993.65	-
जोड़ें : निर्माणाधीन अवधि के दौरान व्यय से हस्तांतरण (नोट - 11)	8,376.26	28,993.65
<b>कुल</b>	<b>37,369.91</b>	<b>28,993.65</b>

### 4. नकद और नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
बैंक में बकाया राशि : चालू खाते में	705.00	1,000.00
<b>कुल</b>	<b>705.00</b>	<b>1,000.00</b>

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540) 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां				
5. इक्विटी शेयर पूंजी				
( सौ रु. में)				
विवरण		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूंजी				
प्रत्येक 10 रुपए के 10,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को प्रत्येक 10 रु. के 10,000 इक्विटी शेयर)			1,000.00	1,000.00
इश्यू किए गए, सब्सक्राइब किए गए और प्रदत्त				
प्रत्येक 10 रुपए के 10,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को प्रत्येक 10 रु. के 10,000 इक्विटी शेयर)			1,000.00	1,000.00
<b>कुल</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>(i) वर्ष की शुरुआत में और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान :</b>				
विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	रखे गए शेयरों की संख्या	राशि	रखे गए शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में शेयरों की कुल संख्या	10,000	1,000.00	-	-

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों की संख्या	-	-	10,000	1,000.00
वर्ष के अंत में कुल शेयरों की संख्या	10,000	1,000.00	10,000	1,000.00

### (ii) शेयरों से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास केवल एक ही कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक भारत प्रति शेयर एक मत देने के लिए पात्र है। अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

### (iii) नियंत्रक निकाय द्वारा धारित इक्विटी शेयर

विवरण			शेयरों की संख्या	%
<b>31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार</b>				
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, धारित कंपनी*			10,000	100%
<b>31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार</b>				
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, धारित कंपनी*			10,000	100%

### (iv) कंपनी के वैसे प्रत्येक शेयरधारकों का विवरण जिन्होंने कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर धारित किया हुआ है

विवरण			31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

			धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या
इक्विटी शेयर				
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, धारित कंपनी*			10,000	10,000
* पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड तथा इसके नामितियों के द्वारा इक्विटी शेयर धारित किया हुआ है।				

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

## 6. अन्य इक्विटी

( सौ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
<b>रखा गया अर्जन:</b> अवधि की शुरुआत में बकाया राशि	(194.51)	-
<b>जोड़ें :</b> वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	(194.51)
<b>कुल</b>	<b>(194.51)</b>	<b>(194.51)</b>

## 7. उधारी

( सौ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
<b>ऋणमोचित लागत पर ली गई वित्तीय देनदारियां (असुरक्षित)</b> संबंधित पार्टी से ऋण (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड)	32,258.85	27,642.62
ऋणों पर ब्याज	4,378.69	1,121.78
<b>कुल</b>	<b>36,637.54</b>	<b>28,764.40</b>

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

## 8. अन्य वित्तीय देनदारियां

( सौ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
भुगतान किया जाने वाला व्यय - लेखापरीक्षा शुल्क	270.00	270.00
<b>कुल</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>

## 9. अन्य चालू देनदारियां

( सौ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं : (टीडीएस)	361.88	153.76
<b>जोड़</b>	<b>361.88</b>	<b>153.76</b>

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की विवरणियां  
महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट  
( सौ रु. में )

### 10. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	13 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए
प्राथमिक व्यय	-	194.51
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>194.51</b>

### 11. निर्माणाधीन अवधि के दौरान व्यय

( सौ रु. में )

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	13 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए
<b>व्यय :</b>		
व्यवसायिक और परामर्श प्रभार	248.13	3,826.03
कानूनी और फाइलिंग शुल्क	26.80	21.73
जनशक्ति प्रभार	-	3,042.22
दौरा और यात्रा	-	36.31
ब्याज व्यय	3,618.79	1,244.57
कार्यालय रख - रखाव	6.66	1,911.56
लेखापरीक्षा शुल्क	295.00	295.00
टेलीफोन व्यय	4.21	637.79
कार्यालय व्यय	3,495.97	8,298.28
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	4,239.86
दरें और करें	680.70	3,721.29
वाहन प्रचालन और हायरिंग व्यय	-	1,524.56
विज्ञापन व्यय	-	194.45
<b>कुल (सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित, नोट-3)</b>	<b>8,376.26</b>	<b>28,993.65</b>

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

### 12 प्रति शेयर अर्जन

( सौ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	13 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए	
प्रति शेयर मूलभूत और तनुकृत अर्जन प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रुपए में)		10.00	10.00
इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर पश्चात निबल लाभ / हानि	-	(194.51)	
मूलभूत ईपीएस संगणन के लिए हर के रूप में उपयोग करते हुए इक्विटी शेयरों की वजन वाली औसत संख्या	10,000	10,000	
<b>प्रति शेयर मूलभूत और तनुकृत शेयर अर्जन (रुपए में)</b>		-	(1.95)
कंपनी के द्वारा कोई तनुकृत इंड्रूमेंट जारी नहीं किए गए हैं।			

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

## बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

### 13. संबंधित पार्टियों से हस्तांतरण का विवरण

#### 13.1 संबंधित पार्टियों का नाम और संबंधों का विवरण:

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	धारक कंपनी
3	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
6	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
8	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
9	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
10	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
11	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
12	चेर्यूर इंफ्रा लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
13	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
14	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
15	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
16	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
17	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	साझा नियंत्रणाधीन उद्यम
18	बल्लभगढ़ - जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
19	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
20	मोहिंदरगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
21	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
22	शांगटांग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
23	वापी-॥ नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

24	बीकानेर- खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
25	भुज-॥ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
26	फतेहगढ़ -॥ ट्रांसको लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी
27	लकाडिया- वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी

13.2 कंपनी के मुख्य प्रबंधक कार्मिक अभीष्ट धारक कंपनी (पीएफसी) के कर्मचारी हैं तथा पार्ट टाइम आधार पर वहां तैनात हैं।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री पी. सी. हेंब्रम	अध्यक्ष*	13.01.2017
2	श्री डी मानावालन	अध्यक्ष**	05.04.2018
3	श्री एन. सी. गुप्ता	निदेशक	13.01.2017
4	श्री संजय नायक	निदेशक	10.08.2018
5	श्री राजीव रंजन	निदेशक	30.10.2017
6	श्री वी. के. जैन	निदेशक	27.03.2019

\* 05.04.2018 तक ; \*\* 05.04.2018 से

13.3 हस्तांतरण का विवरण :

13.3.1 संबंधित पार्टी से हस्तांतरण

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी	
-प्राप्त किया गया ऋण	7,873.14
- ब्याज व्यय	3,256.91

13.3.2 संबंधित पार्टी के पास कुल राशि :

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड धारक कंपनी	
ऋण	32,258.85
ऋणों पर चुकाया जाने वाला ब्याज	4,378.69

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

#### 14. वित्तीय लिखत

##### (1) पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है कि वह स्वतंत्र पारेषण परियोजना मद में होने वाले व्यय को पूरा करने में सक्षम होगी। कंपनी की पूंजी संरचना में धारक कंपनी से प्राप्त कर्ज शामिल होता है। कंपनी किसी बाह्य अधिरोपित पूंजी आवश्यकता के अध्यक्ष नहीं है। कंपनी आवश्यकता के आधार पर कंपनी की पूंजी संरचना की समीक्षा करता है। 31 मार्च 2019 को तुलनाप अनुसार इसकी धारक कंपनी से उधार ली गई राशि 32,258.85 रुपए (सैकड़ा में) तथा 1,000.00 इक्विटी शेयर पूंजी शामिल है।

##### (i) वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
<b>वित्तीय परिसंपत्तियां:</b> ऋणमोचित लागत पर मापित (क) नकदी और नकदी समतुल्य	705.00
<b>वित्तीय देयताएं :</b> ऋणमोचित लागत पर मापित (क) ऋण	36,637.54
(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	270.00

##### (ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और अन्य देय राशियां शामिल हैं। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों नकदी और नकदी समतुल्य राशियां शामिल होती हैं। कंपनी के समक्ष बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज मूल्य संबंधी अन्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हैं।

कंपनी का प्रबंधन जोखिम की डिग्री और वेग द्वारा जोखिमों का विश्लेषण कर कंपनी के प्रचालन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है। चूंकि कंपनी का संपूर्ण प्रचालन भारत में है, अतः मुद्रा जोखिम के लिए लागू नहीं होता है।

### (iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम अर्थात् ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम शामिल होते हैं। चूंकि कंपनी का प्रचालन केवल भारत में है, अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कोई जोखिम नहीं है। ब्याज दर जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण शामिल होती हैं। कंपनी के समक्ष मूल्य संबंधी अन्य कोई जोखिम नहीं है।

बाजार जोखिम एक्सपोजर का मापन संवेदनशीलता विश्लेषण द्वारा किया जाता है।

बाजार जोखिमों के प्रति कंपनी के एक्सपोजर अथवा उस ढंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसमें प्रबंधन और मापन किया जा रहा है।

### (iv) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी के समक्ष ब्याज दर जोखिम रहता है क्योंकि यह समय-समय पर यथा निर्धारित "राज्य क्षेत्र के 'क'" श्रेणी के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अंतिम धारक कंपनी) द्वारा प्रभारित फ्लोटिंग निधियां उधार लेती वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दर के लिए कंपनी के एक्सपोजर के विस्तृत विवरण तरलता जोखिम प्रबंधन खंड में दिए गए हैं।

### (vi) ब्याज दर

#### संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज दरों के जोखिम के उद्वेग हुआ गया है। फ्लोटिंग दर देयताओं के लिए विश्लेषण की तैयारी यह मानते हुए की जाती है कि देयता की राशि के अंत में बकाया थी और पूरे वर्ष भर बकाया बनी रही है। जब प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को आंतरिक ब्याज दर जोखिम के बारे में रिपोर्ट किया जाता है, तो 50 आधारभूत बिंदुओं की वृद्धि अथवा कमी का फॉर्मल विश्लेषण किया जाता है और यह ब्याज दरों में औचित्यपूर्ण संभावित परिवर्तन के लिए प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करता है।

ब्याज में 50 आधारभूत बिंदुओं और अन्य चरों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण यथावत रखा गया, इसका परिणाम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है :

# महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

## यदि 50 आधारभूत बिंदुओं की वृद्धि होती है

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ अथवा (हानि) के लिए प्रभाव	-
अन्य वृहद आय के लिए प्रभाव	-

## यदि 50 आधारभूत बिंदुओं की कमी होती है

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ अथवा (हानि) के लिए प्रभाव	-
अन्य वृहद आय के लिए प्रभाव	-

### (vii) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम ऐसे जोखिम को संदर्भित करता है, जब कोई प्रति पक्षकार अपनी संविदागत बाध्यताओं को कोई चूक करता है, जिसके फलस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि कंपनी के समक्ष क्रेडिट जोखिम का एक्सपोजर प्राथमिक रूप से सफल बोलीदाता से प्राप्त होने वाली उत्पन्न होता

कंपनी की बैंक में जमा बकाया राशियां प्रायः प्रतिष्ठित और विश्वसनीय बैंकिंग संस्थानों के पास परिणामस्वरूप प्रति पक्षकारों से क्रेडिट जोखिम बहुत ही सीमित होता है।

### (viii) तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जब किसी निकाय को वित्तीय देयताओं से जुड़ी बाध्यताओं को पूरा करने का सामना करना पड़ेगा और जिसका निराकरण नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान कर कंपनी की वित्तीय देयताओं में इसकी धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) से मुख्य रूप से असुरक्षित ऋण और संविदा की शर्तों के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर किय

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च 2031 की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज के भुगतान सहित वित्तीय बाध्यताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण दिए जाएंगे :

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

विवरण	वर्तमान राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक अवधि में देय	देय तिथि विनिर्दिष्ट नहीं
वित्तीय देयताएं					
ऋण	36,637.54	36,637.54	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	270.00	270.00	-	-	-

### (ix) उचित मूल्य मापन

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य का मापन आवर्ती आधार पर उचित किया जाता है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018
		वर्तमान राशि	उचित मूल्य	वर्तमान राशि
वित्तीय देनदारियां				
ऋण	स्तर 3	36,637.54	36,637.54	28,764.40
अन्य वित्तीय देयताएं	स्तर 3	270.00	270.00	270.00

वर्ष के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ। भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में ऋणमोचित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की वर्तमान उचित मूल्य का एक औचित्यपूर्ण अनुमान हैं, क्योंकि कंपनी यह पूर्वानुमान नहीं लगाती है कि उनके वर्तमान उस मूल्य की तुलना में महत्वपूर्ण अंतर होगा जिनका आकस्मिक रूप से निराकरण करना होगा अथवा प्र

**बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड**

(सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310540)

**31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां**

15. कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय स्वतंत्र पारेषण परियोजना (आईटीपी) की स्थापना के लिए वि परियोजना चिह्नित होती है, अतः सभी व्यय को पूंजीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार निर्माण व्यय (नोट 11), जिसमें सभी व्यय निहित हैं, तैयार किया गया है और उसे जारी पूंजीगत कार्य ( स्थानांतरित किया गया है।

16. अन्य व्यय मुख्य रूप से पीएफसीसीएल द्वारा बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड को आवंटित किए से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% आधार पर आवंटित किए जाते हैं तथा साझा व्यय विभिन्न आईटीपी साझाकरण के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में पीएफसीसी के नाम पर होते हैं और उसे द्वारा अपने पास रखे जाते हैं, जिनकी प्रतियां कंपनी के पास पीएफसीसीएल इन व्ययों के संबंध में यथा लागू जीएसटी और स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित सभी का अनुपालन कर रहा है।

17. कंपनी के पास समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई कर्मचारी नहीं हैं, अतः जनशक्ति लागत का आ (पीएफसीसीएल) द्वारा धारक कंपनी के कर्मचारियों के समय पत्रकों के आधार पर किया गया है। वर्ष "निर्माण अवधि के दौरान व्यय" में दर्शाए गए व्यय की राशि 8,376.26 रुपए (सैकड़ों में) (गत वर्ष 28 है, जिसमें पीएफसीसीएल के कर्मचारियों के जनशक्ति प्रभार के रूप में शून्य रुपए (गत वर्ष 3,042.22 सौ पीएफसीसीएल के कर्मचारियों की जनशक्ति लागत पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कर्मचारियों द्वारा बिताए गए वास्तविक समय के आधार पर कॉस्ट टू कंपनी आधार पर वसूल किए जाते हैं।

18. परियोजना के विकास पर व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (धारक कंपनी) द्वारा कंपनी पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय पर पीएफसीसीएल को ब्याज का भुगतान करेगी। निधियों की प्रभारित / भुगतान किए गए ब्याज की दर समय-समय पर यथा निर्धारित "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं ( अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए परियोजना ऋण / योजनाओं (पारेषण) के लिए पीएफसी लिमिटेड में यथा ला है।

19. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 200 अधिनियम) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण	31 मार्च 2019 की
-------	---------------------

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

	स्थिति के अनुसार
(क) लेखांकन अवधि के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए शेष मूलधन की राशि और उसपर देय ब्याज की राशि	-
(ख) लेखांकन अवधि के दौरान निर्धारित दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ-साथ एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि	-
(ग) भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय राशि और उसपर देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परंतु निर्धारित तारीख के बाद किया गया है), परंतु एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ब्याज की राशि नहीं जोड़ी गई है।	-
(घ) लेखांकन अवधि के अंत में संचित परंतु भुगतान के लिए शेष ब्याज की राशि	-
(ड.) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अवज्ञा के प्रयोजन से लघु उद्यमों को वास्तविक रूप से भुगतान किए गए उपर्युक्त देय ब्याज की निर्धारित तारीख तक यहां तक कि उत्तरवर्ती वर्ष में देय अन्य ब्याज की राशि	-

### 20. खंड सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल, जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है, ह के निष्पादन का मूल्यांकन करता है, कंपनी के विभिन्न कार्य निष्पादन संसूचकों के विश्लेषण के आधार आवांटन करता है। कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण का व्यवसाय कर रही है और इसकी सभी गतिवि के रूप में इसके मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द चल रहे हैं। इसके अलावा कोई भौगोलिक खंड नहीं है, क्योंकि प्रचालन भारत में ही किए जाते हैं। अतः भारतीय लेखांकन मानक 108 "प्रचालनरत खंड" की आवश्यकता के लिए अलग से रिपोर्ट किए जाने योग्य कोई खंड नहीं है।

### 21. प्रतिबद्धताएं :

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
पूँजी खाते में निष्पादित की जाने वाली और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसी शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	
अन्य प्रतिबद्धताएं	-

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

### 22. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
जैसा कि समीक्षाधीन अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, कंपनी द्वारा कंपनी की आकस्मिक देयताओं और कंपनी के विरुद्ध दावों को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा कंपनी को कोई भी आकस्मिक परिसंपत्तियों और आकस्मिक लाभ होने की संभावना नहीं है।	-

### 23. कर्मचारी हितलाभ योजनाएं

चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है, अतः भारतीय लेखांकन मानक - 19 के अनुसार प्रकटन की कोई आवश्यकता नहीं है।

### 24. लेखापरीक्षकों का मेहनताना

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक लेखापरीक्षक फीस (कर सहित)	295.00

### 25. अन्य प्रकटन :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य

(ख) विदेशी विनिमय से आय- शून्य

26. भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने की तारीख से कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी के वर्तमान मूल्य पर विचार किया है।

27. वर्ष के दौरान, आगे लाई गई हानियों पर समय अंतर के फलस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियां उत्पन्न हुईं। अभाव में इसे वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है।

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

28. कंपनी ने पूर्व में लागू जीएएपी, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) शामिल हैं, की आवश्यकताओं के अनुसार 31 मार्च 2018 समाप्त वर्ष तक अपने वित्तीय विवरण तैयार किए। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं क्योंकि भारतीय लेखांकन मानक इसकी धारक कंपनी पीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों को समान लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है, जिनका प्रयोग कंपनी के पहले भारतीय लेखांकन मानक आधारित वित्तीय विवरणों की तैयारी में किया गया है।

**29. पहली बार भारतीय लेखांकन मानक अपनाने पर पुनर्मिलान: -**

**29.1** 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अनुपालन के लिए

विवरण	31-मार्च-18	
	पिछला जीएएपी	समायोजन
<b>परिसंपत्ति</b>		
<b>गैर चालू परिसंपत्ति</b>		
(क) जारी पूंजीगत कार्य	28,993.65	-
<b>चालू परिसंपत्तियां</b>		
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां		
- नकद और नकदी समतुल्य	1,000.00	-
<b>कुल परिसंपत्तियां</b>	<b>29,993.65</b>	
<b>इक्विटी और देनदारी</b>		
<b>इक्विटी</b>		
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	1,000.00	-
(ख) अन्य इक्विटी	(194.51)	-
<b>चालू देनदारियां</b>		
(क) वित्तीय देनदारियां		
(i) ऋण	28,764.40	-

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	270.00	-
(ख) अन्य चालू देनदारियां	153.76	-
<b>कुल इक्विटी और देनदारियां</b>	<b>29,993.65</b>	

**29.2** 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अनुपालन का प्रभाव :-

विवरण	पिछला जीएएपी	समायोजन
प्रचालन से राजस्व	-	
अन्य आय	-	
<b>कुल राजस्व (आई)</b>	<b>-</b>	
<b>व्यय</b>		
अन्य व्यय	194.51	-
<b>कुल व्यय ((II))</b>	<b>194.51</b>	
<b>कर पूर्व लाभ / (हानि) (I-II)</b>	<b>(194.51)</b>	
<b>कर व्यय :</b>		
(1) चालू कर	-	-
(2) आस्थगित कर - आस्थगित कर देनदारियां (+) / परिसंपत्ति (-)	-	-
<b>कुल कर व्यय</b>	<b>-</b>	
<b>अवधि के लिए लाभ / (हानि)</b>		

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(194.51)

29.3 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य इक्विटी पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) का प्रभाव

( सौ रु. में )

विवरण	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
आईजीएपी के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अन्य इक्विटी	(194.51)
भारतीय लेखांकन मानक समायोजन :	
इक्विटी पर कुल प्रभाव	-
भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया अन्य इक्विटी	(194.51)

29.4 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक अनुपालन का प्रभाव: -

विवरण	पिछला जीएपी	समायोजन
प्रचालनरत क्रियाकलापों से निबल नकद प्रवाह	229.25	-
निवेशी क्रियाकलापों में प्रयुक्त निबल नकद	(28,993.65)	-
वित्तीय क्रियाकलापों से निबल नकद प्रवाह	29,764.40	-
वर्ष के दौरान नकद और नकद समतुल्य में निबल वृद्धि / हास	1,000.00	-
जोड़ें : वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	-	-
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य	1,000.00	-

\* चूंकि कंपनी की स्थापना 13 जनवरी 2017 को हुई थी और इसका पहला वित्तीय विवरण 13 जनवरी

## महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

2018 तक के लिए तैयार किया गया था इसलिए इसके लिए 01 अप्रैल 2018 के आंकड़े उपयुक्त नहीं हैं।

### 30. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण बोर्ड के निदेशक और उनके प्राधिकृत दिया गया था , जो .....को जारी हुआ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(संजय नायक)

निदेशक

डीआईएन : 08197193

(डी. मानावालन)

अध्यक्ष

डीआईएन : 08102722

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

महेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या : 005000एन

सीए कोमल अग्रवाल

(पार्टनर)

सदस्या संख्या 533793

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :